(1)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 135/2021

प्रकाश पुत्र मनाराम जाति गुर्जर, निवासी ढाणी सोकड़ला, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।

—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, उदयपुरवाटी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी
उनवानी सरकार बनाम प्रकाश अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 46/2021 निर्णय दिनांक 08.12.2021

उपस्थितिः—

1 श्री अरविन्द सैनी, एडवोकेट ——— ———————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,राजकीय अधिवक्ता ————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 31.03.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.12.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम प्रकाश मु0नं0 46/2021 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपरवाटी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि— योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी ने पत्रावली पर आई साक्ष्य व सबूत पर गौर किये बिना व बिना न्यायिक विवेचना निर्णय दिनांक 8.12.2021 पारित किया है जो स्पीकिंग आर्डर की तारीफ में नहीं आता है। अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत अपीलार्थी के जवाब का कोई विवरण अंकित नहीं है। प्रकरण की कार्यवाही जिस हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर प्रारम्भ की गई है, उसमें केवल मात्र पक्का निर्माण होना अंकित किया गया है, लेकिन उसमें अंकित नहीं है कि क्या पक्का निर्माण है, उक्त रिपोर्ट कार्यालय में बैठकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है। सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित है। भूमि खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.04.08 18:19:03 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

नंबर 5789/732 पर सम्वत 2077 में अतिक्रमण करना जाहिर किया है, जो सवर्था असत्य व झूठ है, क्योंकि उपरोक्त भूमि की किस्म आवासीय है, भूमि में पुख्ता मकानात बनाकर अपीलार्थी तथा उसका परिवार पूर्वजों के समय से ही आबाद है जो पीढी दर पीढी रहवास के काम आती चली आ रही है जिस पर अपीलार्थी का कब्जा राज0 भू0 राजस्व अधिनियम के लागू होने के पूर्व का है। मौके पर अपीलांट का विद्युत कनेक्शन है। उक्त कनेक्शन बाबत ग्राम पंचायत द्वारा अपीलार्थी का स्वत्व कब्जा मानकर अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी हुये है। हल्का पटवारी ने अपीलार्थी के विरोधी व्यक्तियों से मिलकर अपीलार्थी के विरूद्ध झूठी कहानी तैयार कर प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में बिना अपीलांट को सुनवाई का समचित अवसर प्रदान किये उक्त निर्णय दिनांक 8.12.2021 पारित किया गया है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 8.12.2021 निरस्त किया जावे ।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः–विवादित भूमि पर अपीलांट का उनके पूर्वजों के समय से भूमि में पुख्ता मकानात बनाकर अपीलार्थी तथा उसका परिवार पूर्वजों के समय से ही आबाद है जो पीढी दर पीढी रहवास के काम आती चली आ रही है जिस पर अपीलार्थी का कब्जा मौके पर अपीलांट का विद्युत कनेक्शन है। उक्त कनेक्शन बाबत ग्राम पंचायत द्वारा अपीलार्थी का स्वत्व कब्जा मानकर अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी हुये है। भूमि की किस्म गै.मु. पहाड़ है जो राज0 सरकार के द्वारा जारी परिपत्रों के क्रम में आवंटन योग्य भूमि है। मौके पर पूर्ण रूप से आबादी, स्कूल, सड़क एवं अन्य सरकारी भवन बने हुये हैं। अपीलार्थी अतिक्रमी नहीं है, बल्कि आजादी से पूर्व एवं एल आर0एक्ट कानून बनने से पूर्व अपने पूर्वजो के समय से उक्त भूमि पर पक्के मकानात बनाकर परिवार सहित आबाद हैं। विवादित भूमि की किस्म गैर मु0पहाड़ है जो राज्य सरकार के दिशा–निर्देशानुसार नियमन योग्य है। प्रशासन गांवों के संघ अभियान में पूर्व में भी तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा उक्त भूमि आबादी भूमि हेतु आवंटन कराने के प्रस्ताव जिला कलक्टर झुंझुनू को भिजवाये गये थे। तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.04.08 18:19:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

उदयपुरवाटी ने उक्त भूमि आबादी हेतु आवंटित कराने के बजाय अपीलार्थी को बिना सूचना किये प्रशासन गांवों के संघ अभियान के दौरा एक पक्षीय निर्णय कर अपीलार्थी के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया है, जो नसैर्गिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 8.12.2021 निरस्त किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर पक्के मकानात बनाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है। विवादित भूमि अभी आवंटित नहीं हुई है। पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हल्का पटवारी छापोली की रिपोर्ट दिनांक 18.3.2021 के द्वारा विवादित भूमि खसरा नंबर 5789 गै. मु. पहाड़ में अपीलार्थी के मौके पर पक्का निर्माण अंकित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा दिनांक 24.6.2021 प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये जाने के बाद दिनांक 7.7.2021 को अपीलार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विवादित भूमि पर करीब 50 वर्ष से अधिक समय से पूर्वजों के समय से मकान बनाकर आवास कर रहे हैं उसके बाद पत्रावली तारीख पेशीयों पर चलती रही, दिनांक 08.12.2021 को पत्रावली प्रशासन गावों के संग अभियान में ग्राम पंचायत छापोली में रखी जाकर नायब तहसीलदार द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया है। न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा अप्रार्थीगण को प्रशासन गांवों के संग अभियान में प्रकरण रखे जाने के संबंध में सूचना दी गई हो ऐसा पत्रावली पर कोई रिकार्ड नहीं है। प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान राजीनामा के आधार पर प्रकरण निस्तारित किये जाते है जिनमें भी प[illegible] कैम्प में उपस्थित होने की सूचना दी जाती है। राज्य सरकार की मंशा एवं प्रशासन शहरों के [illegible] अभियान के दौरान जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों के अनुसार प्रतिबंधित भूमियों को छोड़कर तहसील क्षेत्र में जहां पुरानी आबादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.04.08 18:19:03 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

बसी हुई है, उन अतिक्रमणों को चिन्हित किया जाकर सूची तैयार कर, आवास गृहों का क्षेत्रफल एवं उनमें आवागमन का रास्ता आदि दर्शाते हुये ग्राम पंचायतों को आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन हेतु जिला कलक्टर को प्रस्ताव भिजवाये जाने के निर्देश प्राप्त थे। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी के विवादित भूमि पर विद्युत कनेक्शन हैं एवं पानी के संबंध आदि हैं। विवादित भूमि पर सड़क, पानी, स्कूल एवं अन्य राजकीय सुविधा आबाद व्यक्तियों हेतु मौके पर स्थापित है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी का अपने पूर्वजों के समय यानि पुराना कब्जा है तथा विवादित भूमि की किस्म गै.मु.पहाड़ दर्ज रिकार्ड है जो आवंटन योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा इस अपीलार्थी के पुराने कब्जे के संबंध में अपने निर्णय में कोई फाईडिंग नहीं दी है। राज्य सरकार के परिपत्रों एवं निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी को पुराने कब्जे के आधार पर उक्त भूमि नियमन/आवंटित क्यों नहीं की जा सकती, ऐसा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा अपने निर्णय में कोई विवेचना नहीं की गई। हस्तगत प्रकरण में नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा बिना पक्षकरान को सूचित करते हुये न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों की पत्रावलियों को प्रशासन गांवों के संग कैम्प में ले जाना और पक्षकारान की अनुपस्थिति में दिनांक 08.12.2021 को बेदखली आदेश पारित करना और उसके बाद दिनांक 14.12.2021 को नोटिस जारी कर अपीलांट का रिहायशी मकान खाली करने का नोटिस जारी किया गया है, जो कतई विधिसम्मत नहीं किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन है कि एक तरफ नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान पुराने बने आवासगृहों को चिन्हित कर आबादी विस्तार हेतु जिला कलक्टर को प्रस्ताव भिजवाये गये हैं और दूसरी पुराने आबाद अपीलार्थी को बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये इसी शिविर में बेदखली के आदेश पारित किये गये है, जिससे पीठासीन अधिकारी की न्याय करने की मंशा पर संदेह प्रकट होता है। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर प्रस्तुत विधुत कनेक्शन, फोटो आदि से अपीलार्थी का विवादित भूमि पर वर्षों पुराना कब्जा साबित है। विवादित भूमि की किस्म गै.मु. पहाड़ दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा निर्णय दिनांक 8.12.2021 में अपीलार्थी के पुराने कब्जे के बारे में कोई विवेचना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये यह अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.04.08 18:19:03 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2021 उनवानी सरकार बनाम प्रकाश मु0नं0 46/2021 निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार उदयपुरवाटी को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि विवादित भूमि का मौका निरीक्षण कर अपीलार्थी को सुना जाकर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आवासगृह बनाकर किये गये अतिक्रमणों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार कर सूची में खसरा नंबर एवं अतिक्रमित कर निर्मित आवासगृहों का क्षेत्रफल एवं नजरी नक्शें की प्रति जिसमें आवागमन हेतु रास्ते दर्शाये गये हो आबादी विस्तार हेतु प्रस्ताव तैयार कर जिला कलक्टर को भिजवाना सुनिश्चित करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.04.08 18:19:03 IST
Reason: SelfAttested